vk/kkfxd ifr'k{k.k lLFkku] Ukjij] ftyk dkxMk fgekpy ins'k d icU/ku deVh d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu A

vd{k.k vof/k 2008&2009 ,o 2009&2010

1 ifrLFkkiuk %&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या EDN(TE)A(2)1/98, दिनांक 02.09.2003 द्वारा गठित प्रबन्ध कमेटी के अर्न्तगत औधौगिक प्रषिक्षण संस्थान नूरपुर में शैक्षणिक सत्र 2008–2009 से कक्षाएं प्रारम्भ की गई। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री संजीव सहोत्रा ने प्रधानाचार्य एवं सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया।

2 orieku vd{k.k %&

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान के प्रबन्धन कमेटी के लेखाओं का अवधि 2008–2009, 2009–2010 का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.10 एवं 16.11.10 के दौरान संस्थान के कार्यालय में सम्पन किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया:–

Ø0l0	o"k	p;fur ekl ¼vk;½	p;fur ekl ¼0;;½
1	2008–2009	8/2008	02/2009
2	2009–2010	8/2009	10/2009

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित किए गए महीनों तक ही सीमित है।

3 **vd{k.k 'kYd %&**

संस्थान के प्रबन्धन कमेटी के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹1,200.00 आंका गया जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0वी0एस0 (ऑडिट) 2010/43, दिनांक 16.11.2010 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त राशि को जिसे यथाषीघ्र निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009 के नाम पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना सुनिष्चित किया जाए।

4 **foÙkh; fLFkfr %&**

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रबन्धन कमेटी के लेखाओं के रख–रखाव हेतु संस्थान द्वारा दो रोकड़ वहियां प्रयोग में लाई गई थी :–

(क) Self Financing Scheme Cash Book.

(ख) PPP Mode Cash Book.

उपरोक्त अभिलेखानुसार, उक्त दोनों रोकड़ बहीयों की अलग–अलग वित्तीय स्थिति का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिषिष्ट–क पर दिया गया है।

5 **fuos'k %&**

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार दिनांक 31.03.10 को निवेष की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

Ø0 l0	fnukd	,QOMh0 vkj0 l[;k	fuof'kr jkf'k	nj	vof/k	ifjiDork fnukd
1	04.11.09	65073148778	25,00,000.00	7.25%	36 माह	04.11.12
2	04.11.09	65073147763	50,00,000.00	7%	30 माह	04.05.12
3	04.11.09	65073148597	25,00,000.00	7.25%	36 माह	04.11.12
4	04.11.09	65073147413	50,00,000.00	7%	30 माह	04.05.12
5	04.11.09	65073141353	25,00,000.00	6.75 %	12 माह	04.11.10

6	04.11.09	65073139581	20,00,000.00	6 %	6 माह	04.05.10
7	04.11.09	65073142914	25,00,000.00	6.75 %	12 माह	04.11.10
8	04.11.09	65073143010	25,00,000.00	6.75%	12 माह	04.11.10
		d|y ;kx	₹2]45]00]000-00			

उपरोक्त निवेषित राषियाँ PPP Mode रोकड़ बही से सम्बन्धित हैं।

6 **PPP Mode** d vUrxr ikIr jkf'k ₹2]50]00]000-00 d ckj %&

जाँच उपरान्त यह पाया गया कि औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान नूरपुर को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय के पत्र संख्या DGET-35(1396) Himachal Pradesh/2008-NIC, दिनांक 17.09.2009 के द्वारा ₹2,50,00,000.00 की राषि पब्लिक प्राईवेट पार्टनरषिप के अर्न्तगत, भवन निर्माण एवं औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान के अपग्रेडेषन हेतु प्राप्त हुई थी, परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त राषि से व्यय नहीं किया गया था। अतः उक्त राषि का उपयोग यथाषीघ्र उन उद्देष्यों हेतु किया जाना सुनिष्चित किया जाए जिन उद्देष्यों हेतु उक्त राषि प्राप्त हुई है।

7 LFkkbZ lkeku dk LVkd jftLVj u yxku ckj %&

वाऊचर संख्या 8/4 एवं 8/5, दिनांक 04.02.09 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि Self Financing Scheme के अर्न्तगत मैं0 जगदीष स्टील वर्क्स नूरपुर से ₹13,830.00 मूल्य की 1 नम्बर स्टील अलमीरा एवं 2 नम्बर स्टील लॉकर की खरीद, बिल संख्या 201 एवं 202, दिनांक 30.01.09 के द्वारा की गई। उक्त खरीदे गए सामान की प्रविष्टि स्थाई वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः परामर्ष दिया जाता है कि स्थाई वस्तुओं के लिए अलग से स्टॉक रजिस्टर लगाया जाए जिसमें प्रत्येक वस्तु के लिए अलग–अलग पेज आबंटित किए जाएं व उक्त खरीद के अतिरिक्त संस्था द्वारा खरीदी गई अन्य समस्त स्थाई मदों की प्रविष्टियाँ की जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 y?k| vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

9 fu"d"k %& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(2)487/2010, खण्ड–7, दिनांक षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i!thd'r %&1. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भिजवायें।

2. निदेषक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औधोगिक संस्थान, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

3. आयुक्त एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

4. श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

¼vui dekj½